अनुदान संख्या 72 – कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 72 - MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*96,99,00*	*16,81,38*	*-80,17,62*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*78,35,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1483,71,00	1550,12,00	1522,65,99	- 27,46,01
पूरक	Supplementary	66,41,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*6,65,00*	..	*-6,65,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*5,90,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	139,24,00	139,27,00	128,74,86	-10,52,14
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,63,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2062"	Major Head "2062"				
सतर्कता	Vigilance				
मू.	*O.*	*9629.00*			
			1801.00	*1640.73*	*-160.27*
पु.	*R.*	*-7828.00*			

(I) "लोकपाल – स्थापना" के अंतर्गत *₹7988.27 लाख* की बचत (*₹9629.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और स्थायी कार्यालय की स्थापना न होने के कारण हुई।

(I) Under "Lokpal-Establishment" - saving of *₹7988.27 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹9629.00 lakhs*) was due to non-filling up of vacant posts and the non-setting up of permanent office.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹2746.01 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹6641.00 लाख के पूरक अनुदान का 41 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹2746.01 lakhs) constituted 41 percent of supplementary grants of ₹6641.00 lakhs obtained in March, 2020 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	14273.00			
पू.	S.	1.00	14159.30	13459.86	-699.44
पु.	R.	-114.70			
मुख्य शीर्ष "2051"	Major Head "2051"				
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission				
मू.	O.	24022.00			
पू.	S.	5000.00	32247.09	32209.29	-37.80
पु.	R.	3225.09			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2055”	Major Head “2055”				
पुलिस	Police				
मू.	O.	70089.00			
पू.	S.	703.00	70650.00	69575.73	-1074.27
पु.	R.	-142.00			
मुख्य शीर्ष “2070”	Major Head “2070”				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	28440.00			
पू.	S.	937.00	26390.39	25666.14	-724.25
पु.	R.	-2986.61			

(I) मुख्य शीर्ष “2055” – “आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो” – ₹69893.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹703.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹70596.00 लाख कर दिया गया, तथापि, ₹1177.16 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कोविड–19 महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से स्थापना संबंधित बिलों की प्रस्तुति न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head “2055” - “Criminal Investigation and Vigilance - Central Bureau of Investigation” - the original provision of ₹69893.00 lakhs augmented to ₹70596.00 lakhs by obtaining supplementary grant ₹703.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1177.16 lakhs (including supplementary grant) - due to non-presentation of establishment related bills owing to lockdown on account of COVID-19 pandemic.

(II) मुख्य शीर्ष “2052” – “सचिवालय – कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय” – ₹690.57 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14027.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2052” - “Secretariat - Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions” - saving of ₹690.57 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14027.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims.

(III) मुख्य शीर्ष “2070” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head “2070” - savings occurred under the following heads: -

(का) “प्रशिक्षण” –

(क) “अन्य प्रशिक्षण स्कीम” – ₹970.37 लाख की बचत (₹9736.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विविध अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से बिलों की प्राप्ति न होने और कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के कारण हुआ।

(ख) “सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान” – ₹925.90 लाख की बचत (₹3518.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीधी भर्ती से आये एएसओ/आशुलिपिकों के लिए कम प्रशिक्षण होने और प्रशिक्षण सुविधा स्कीम के कार्यकलापों के कम अपग्रेडेशन होने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय” – “प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की स्कीम” – ₹1783.30 लाख की बचत (₹3150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल सेवा दिवस, पीएम अवार्ड का आयोजन न किए जाने और अन्य प्रशासनिक व्ययों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹295.77 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष “2051” – “कर्मचारी चयन आयोग – स्थापना” – ₹3204.56 लाख का अधिक व्यय (₹5000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹28939.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयोग द्वारा विविध परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्व में आयोजित परीक्षाओं के लंबित बिलों का भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

(A) “Training” -

(a) “Other Training Schemes” - saving of ₹970.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9736.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from various international colleges & universities and conduction of less training programmes.

(b) “Institute of Secretariat Training and Management” - saving of ₹925.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3518.00 lakhs) was due to fewer number of training of Direct Recruit ASO/ Stenographers and less upgradation activities of training facilities scheme.

(B) “Other Expenditure - Scheme of Department of Administrative Reforms & Public Grievances” - saving of ₹1783.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3150.00 lakhs) was due to non-organising of ‘Civil Services Day’, PM awards and requirement of less funds towards other administrative expenses.

(IV) Under one head saving of ₹295.77 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2051” - “Staff Selection Commission - Establishment” - excess of ₹3204.56 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹28939.00 lakhs including supplementary grants of ₹5000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards conduction of various examinations by the Commission and clearance of pending bills of already conducted examinations.

(खा) मुख्य शीर्ष "2070" – "प्रशिक्षण – लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" – ₹704.55 लाख का अधिक व्यय (₹937.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹5297.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रिक बिलों में वृद्धि होने और अतिरिक्त अल्पकाल कोर्स की वजह से केवड़िया (गुजरात) में समानांतर फाउंडेशन कोर्स के लिए प्रशिक्षु अधिकारियों की यात्रा होने के कारण अधिक व्यय हुआ।

(B) Major Head "2070" - "Training - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" - excess of ₹704.55 lakhs (against the total sanctioned provision ₹5297.00 lakhs including supplementary grants of ₹937.00 lakhs) was due to increase in electricity bills and visit of officer trainees of parallel foundation course to Kevadia (Gujarat) owing to additional short-term courses.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹ 665.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹665.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	7942.00			
पू.	S.	2.00	9566.00	8991.74	-574.26
पु.	R.	1622.00			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	5982.00			
पू.	S.	1.00	3998.00	3883.12	-114.88
पु.	R.	-1985.00			

(I) ₹3077.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – आईएसटीएम" के अंतर्गत एक मामले में भूमि एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लिफ्ट प्रतिस्थापन कार्य की शुरुआत नहीं होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3077.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4059" - "General - Construction - ISTM" - due to non-finalization of proposals by Land and Development officer (L&DO) and non-commencement of lift replacement work by Central Public Works Department.

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2821.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

6. The above savings were partly (₹2821.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "4055" – "अन्य व्यय – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो" – ₹1622.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1047.74 लाख था।

(I) Major Head "4055" - "Other Expenditure-Central Bureau of Investigation" - ₹1622.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1047.74 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" – ₹1199.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1185.90 लाख था।

(II) Major Head "4059" - "General - Construction - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" - ₹1199.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1185.90 lakhs.